छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   त्रयोदश सत्र   अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022
(फाल्गुन 25, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 10 एवं 12 से 13 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 तथा 11 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री गुलाब कमरो, डॉ. विनय जायसवाल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने ताड़मेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुरम मुठभेड़ व अग्निकांड तथा दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने दिनांक 12 जुलाई, 2009 को मदनवाड़ा कोरकोट्टी एवं कोरकट्टा पुलिस स्टेशन मानपुर, जिला राजनांदगांव में, पुलिस पर हुए नक्सली हमले के विषय पर नियुक्त न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं अट्ठारहवां वार्षिक प्रति॰वेदन वर्ष 2019-20,

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2021, तथा

(5) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19,

पटल पर रखे ।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधानसभा स्थित सदस्य लॉबी कक्ष में एस.एम.सी.हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ.रिसर्च सेन्टर द्वारा आज दिनांक 16 मार्च, 2022 को भी कार्डियेक कैम्प आयोजित है। अत: जिन माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है वे भी शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण करा लेवें।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने रायपुर नगर निगम द्वारा गोल बाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि नियम प्रक्रिया में है कि ध्यानाकर्षण तात्कालिक घटनाक्रम में आता है और तात्कालिक घटनाक्रम का ही उत्तर दिया जाता है। लेकिन उत्तर में भविष्य की बात कही गई है।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत ध्यानाकर्षण में उठाये गये बिन्दुओं पर वक्तव्य दिया है और समस्या के निराकरण के लिये क्या कार्ययोजना है , उसका उल्लेख किया है। आप प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं , आपका व्यवस्था का प्रश्न अमान्य है।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

6. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्री धरमलाल कौशिक

(4) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(5) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सभापति लोक लेखा समिति ने समिति का इकसठवां से इक्यासीवां तक (कुल 21) प्रतिवेदन,

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति ने समिति का दस से उन्नीस तक (कुल 10) प्रतिवेदन,

प्रस्तुत किये।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री धर्मजीत सिंह

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

(3) श्री धरमलाल कौशिक

(4) श्री ननकी राम कंवर

(5) श्री पुरूषोत्तम कंवर

11. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, धर्मजीत सिंह, दलेश्वर साहू, शिवरतन शर्मा, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, रामकुमार यादव, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या 47, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-47 पर श्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे,

मांग संख्या-44 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-46** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, **मांग संख्या-43** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती इन्दू बंजारे,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री दीपक बैज, सांसद बस्तर, उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है।

13. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या 56, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-20 पर डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-56** पर सर्वश्री धर्मजीत सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, धर्मजीत सिंह, लालजीत सिंह राठिया, रामकुमार यादव ।

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 39, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 26, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 31, प्रस्तुत की ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

14.बहिष्कार

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा खाद्य मंत्री की अनुदान मांगों की चर्चा में भाग न लेने का उल्लेख करते हुए सदन का बहिष्कार किया गया ।

15. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(माननीय सदस्यों के बहिष्कार किये जाने के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए ।)

श्री अमरजीत भगत, संस्कृति मंत्री, ने उत्तर दिया ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-11 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रात्रि 07.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा